न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 279/18
(आरसीएमएस संख्या 2018/00434)

निर्णय दिनांकः 26–12–2019

1. ममता पत्नी सन्तकुमार जाति ब्राहमण
2. सविता
3. स्वाति
4. विकास

पिसरान सन्तकुमार नाबालिग जरिये कुदरती माता श्रीमती ममता निवासी हाल 11/614 मुक्ताप्रसाद नगर तहसील व जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. गावर अली पुत्र दिवेखॉ जाति मुसलमान निवासी चक 1 सीडीवाई तहसील बज्जू जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 26–03–2004
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितः–

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 26–03–2004 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीके से वादग्रस्त भूमि बतौर मिडियम पेच रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित कर दी गई, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स के पति/पिता को बतौर भूमिहीन आवंटन सलाहकार समिति की राय से दिनांक 18–03–1985 को चक 1 सीडीवाई के मुरब्बा नम्बर 95/13 के किला नम्बर 8, 13, 16 ता 18, 23 ता 25 में 08 बीघा कमाण्ड, मुरब्बा नम्बर 96/49 के किला नम्बर 11, 12, 17 ता 25 में 11 बीघा कमाण्ड

राजस्व अपील अधिकारी

तथा मुरब्बा नम्बर 96/50 के किला नम्बर 1 ता 4, 8, 9 में 06 बीघा कमाण्ड इस प्रकार कुल 25 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन पट्टा भी अपीलांट्स के पति/पिता के नाम से जारी कर दिया गया। कालान्तर में उक्त भूमि का नामान्तरणकरण संख्या 7 दिनांक 04–04–1986 से उक्त भूमि अपीलांट्स के पति/पिता के नाम दर्ज किया गया। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि के आवंटन की तमाम प्रकिया पूर्ण हो चुकी थी।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट्स के पति/पिता के उपरोक्त आवंटन के विरूद्व रूखमा बेवा धूड़ाराम ने न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील दिनांक 25–07–1998 को स्वीकार की गई। उक्त आदेश के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 13–05–2008 को अपीलांट्स की निगरानी स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 25–07–1998 को निरस्त कर दिया गया तथा प्रकरण दोनों पक्षों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त आदेश की पालना में न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा रूखमा बनाम ममता आदि अपील को निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार उक्त आदेश की पालना में अपीलांट्स का आवंटन बहाल हो चुका था।

अदालत मातहत के समक्ष उपरोक्त स्थिति सामने होते हुए भी वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व ना तो मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई ना ही अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया है। अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही एकतरफा तौर पर बिना किसी प्रकार की जॉच किये रेस्पोडेन्ट के आवेदन पर वादगत् भूमि का आंवटन बतौर मिडियम पेच कर दिया गया। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसे मामलों में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने के उपरान्त भी वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया उक्त भूमि आवंटन दिनांक को शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज रिकार्ड होने पर विधिवत रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बतौर मिडियम पेच में आवंटित की गई है। वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिकार उत्पन्न हो चुके है।

अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को उक्त भूमि का आवंटन करते हुए तमाम राशि जमा करवाई जा चुकी है। जहॉ तक अपीलांट का कथन कि वादगत् भूमि उसे पूर्व में आवंटित थी ऐसी स्थिति में उक्त भूमि आक्यूपाईड लैण्ड की श्रेणी की है। इस संबंध में राजस्व अभिलेख में वादगत् भूमि शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज है तथा मौके पर खाली पड़ी है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट को आवंटित किये जाने की तिथि को शुद्व रूप से आराजीराज व आक्यूपाईडलैण्ड नहीं थी। इसप्रकार रेस्पोडेन्ट का आवंटन पूर्णतया सही व आवंटन नियमों की पालना करते हुए अदालत मातहत द्वारा किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील बहाल रखा जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–03–2004 के विरूद्व अपील दिनांक 19–06–2018 को प्रस्तुत की गई है। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा अदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपीलांट्स द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अपीलांट्स के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपीलांट्स की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट्स के पति/पिता को बतौर भूमिहीन आवंटित थी तथा अपीलांट्स व अन्य पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त भूमि को लेकर लम्बे समय से विवाद न्यायालय हाजा व उच्चतर न्यायालयों में जैरकार है तथा अपीलांट्स अपने अधिकारों के प्रति आवंटन दिनांक से ही सजग रहा है। प्रकरण में अपीलांट्स को बतौर भूमि आवंटित भूमि का आवंटन अदालत मातहत द्वारा बतौर मिडियम पेच आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जबकि पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भलीभांति साबित है कि वादग्रस्त भूमि के मिडियम पेच आवंटन से

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पूर्व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जबकि विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि व्यथित पक्षकार को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना कोई आदेश पारित किया जाता है तो ऐसा आदेश प्रारम्भ से ही शून्य आदेश की परिभाषा में आता है।

प्रकरण में अदालत मातहत को चाहिए था कि वादग्रस्त भूमि के आवंटन से पूर्व मौके व रिकार्ड के संबंध में किसी प्रकार की कोई जॉच नहीं की गई है। यदि तत्समय ही अदालत मातहत द्वारा तमाम दस्तावेजों व मौके की रिपोर्ट प्राप्त कर ली जाती तो यह स्थिति स्वमेव अदालत मातहत के समक्ष आ जाती कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट्स की आक्यूपाईड लैण्ड थी तथा शुद्व रूप से आवंटन योग्य उपलब्ध भूमि नहीं थी। अदालत मातहत द्वारा तमाम प्रक्रिया को अपनाये बिना व मिडियम पेच आवंटन नियमों को दरकिनार करते हुए आदेश जैर अपील के माध्यम से वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश किसी भी परिस्थिति में युक्तियुक्त व तर्कसंगत आदेश की परिभाषा में नहीं आता है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत दिनांक 26–03–2004 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए व वादग्रस्त भूमि के बाबत् उच्चतर न्यायालयों के निर्णयों का परिशीलन करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

9. निर्णय आज दिनांक 26–12–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सोंकरिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.01.06 17:21:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: